अधिनियम), 1989 के तहत न्यायालय की शक्तियां {Powers of Court under Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act), 1989 (SC/ST Act)}	लिए लागू किया जा सकता है। ○ **अनुच्छेद 142** किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय को **"पूर्ण न्याय"** हेतु आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। **धारा 482,** उच्च न्यायालयों को यह शक्ति देती है। • उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित स्थितियों को भी सूचीबद्ध किया है, जहां मामलों की सुनवाई को रद्द करने की शक्तियां लागू की जा सकती हैं: ○ **जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अपराध:** ▪ प्रकृति में प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी है, ▪ पीड़ित की जाति के आधार पर कारित नहीं किया गया है, ▪ जहां कानूनी कार्यवाही को जारी रखना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ○ यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन नहीं किया जाएगा या उसे कम नहीं किया जाएगा, भले ही विचाराधीन अपराध को दंडित न किया गया हो। • **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के बारे में:** ○ अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराध करने पर रोक लगाता है तथा ऐसे अपराधों की जांच एवं पीड़ितों को तीव्र न्याय प्रदान करने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है। ○ इसे इस अधिनियम के कठोर प्रावधानों को कमजोर करने वाले उच्चतम न्यायालय के एक विवादास्पद निर्णय को रद्द करने के लिए वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था।
राष्ट्रीय अपील न्यायालय (NCA)	भारत के महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय पर कार्यभार कम करने के लिए राष्ट्रीय अपील न्यायालयों (National Courts of Appeal: NCA) की स्थापना पर बल दिया है। • यह विचार **संविधान दिवस के अवसर** पर प्रस्तुत किया गया था। यह विचार **4 क्षेत्रीय NCA (प्रत्येक में 15 न्यायाधीश) की स्थापना करने के** 11 वर्ष पुराने प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। ○ इस विचार को स्वयं **उच्चतम न्यायालय ने भी वर्ष 1986 में और विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में** प्रस्तुत किया था। • **प्रस्तावित NCA के बारे में** ○ **NCA** राज्य के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के बीच **मध्यवर्ती अपीलीय न्यायालयों** के रूप में कार्य करेंगे। ○ इनमें प्रत्येक में **15 न्यायाधीश** होंगे। ○ **ये दीवानी, फौजदारी, श्रम और राजस्व मामलों** में अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालयों तथा अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों से निपटने में न्याय के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। ○ ध्यातव्य है कि इन अपीलीय न्यायालयों के निर्णय **अंतिम रूप से मान्य होंगे।** ○ हालांकि, NCA की स्थापना के लिए एक **संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।**
राष्ट्रीय मुकदमा नीति (National Litigation Policy: NLP)	**सरकार एक राष्ट्रीय मुकदमा नीति (National Litigation Policy: NLP) का निर्माण कर रही है** • हाल ही में, सरकार ने सूचित किया है कि **मुकदमेबाजी को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने** के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने हेतु एक NLP विचाराधीन है। ○ इससे पहले वर्ष 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री द्वारा इस उद्देश्य से एक NLP प्रस्तुत की गई थी कि सरकार को निरर्थक मुकदमेबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए, विशेषकर जहां सरकार के विरुद्ध कोई ऊंचा/बड़ा दावा नहीं किया गया है। इस नीति को लागू नहीं किया गया था। • **महत्व:** ○ इस नीति का उद्देश्य **सरकार को एक कुशल और उत्तरदायी वादी** में परिवर्तित करना है। ▪ सर्वविदित है कि राज्यों और केंद्र में **सरकारें** जिला अदालतों से लेकर **उच्चतम न्यायालय तक में कुल** 3.14 करोड़ मामलों में से **46% मामलों में वादी के रूप में शामिल हैं।** ○ यह नीति न्यायालय में किसी मामले के **लंबित रहने की औसत अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने** में सक्षम बनाकर **न्यायालय के बहुमूल्य समय की बचत** करेगी।